लोक सभा

पुनरीक्षित कार्य-सूची

गुरुवार, 22 जुलाई, 2021/31 आषाढ़,1943 (शक)

पूर्वाह्न 11 बजे

प्रश्न

1. **अलग सूची** में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित मंत्री सभा पटल पर पत्र रखेंगे:-

2. **श्री बिश्वेश्वर टुडु** जल शक्ति मंत्रालय के लिए।

(अलग सूची में मुद्रित)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

3. श्री राजेश वर्मा

श्री अजय निषाद अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगेः-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का तीसरा प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का चौथा प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का पांचवा प्रतिवेदन।

(4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित "दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश और शिक्षकों की नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का छठा प्रतिवेदन।

(5) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में समिति के बीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2019-20) का सातवां प्रतिवेदन।

(6) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "संघ राज्य क्षेत्रों, पीएसयू आदि सहित भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार में क्रीमीलेयर के युक्तिकरण" के बारे में समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2019-20) का आठवां प्रतिवेदन।

----

* **इन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 13.06.2020 और 25.07.2020 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।**

श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

4. श्री भर्तृहरि महताब

श्री भोला सिंह श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगेः-

(1) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) का कार्यकरण" संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(2) "टीवी/प्रसारण/डिजिटल मनोरंजन/विज्ञापन उद्योग कामगारों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण" विषय के संबंध में समिति के 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(3) "शेड्यूल्ड/नॉन-शेड्यूल्ड/टेस्ट फ्लाइंग एयर ऑपरेटर/अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) कंपनियां/एयरपोर्ट ऑपरेटर - उनके कामगारों/कर्मचारियों, विशेष रूप से उनके संदर्भ में जो नागर विमानन क्षेत्र में विमान की उड़ान से सम्बद्ध हैं, के लिए सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उपाय और मानदंड" विषय के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(4) "नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि, ईएसआई और टीडीएस (आयकर आदि का) की कटौती और निक्षेप जमा के विहित उपबंधों का अनुपालन" विषय के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(5) "भविष्य निधियों, पेंशन निधियों द्वारा बॉन्ड और ऐसे लिखतों - (इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एण्ड एफएस) का उदाहरण) में निवेश के दिशा-निर्देश, निगरानी, रेटिंग और नियामक प्रणाली, स्थिति" विषय के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

5. श्री सुनील बाबूराव मेंढे

श्री छेदी पासवान "भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 292वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

प्रस्ताव

6. **श्री प्रहलाद जोशी**

श्री अधीर रंजन चौधरी निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगेः-

"कि यह सभा 20 जुलाई, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है। "

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किए जाने के लिए विधेयक

अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021

7. श्री सर्बानंद सोनोवाल प्रस्ताव करेंगे कि देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्गों और नौपरिवहन से संबंधित विधि को लागू करने में एकरूपता लाने, नौपरिवहन की सुरक्षा, जीवन और कार्गो के संरक्षण, और ऐसे प्रदूषण, जो अंतर्देशीय जलयानों के प्रयोग या नौपरिवहन द्वारा कारित होता है, के निवारण का उपबंध करने, अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, अंतर्देशीय जलयानों, उनके निर्माण, सर्वेक्षण, पंजीकरण, कार्मिक आवश्यकता, नौपरिवहन को प्रशासित करने वाली प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अंतर्देशीय जल के माध्यम से किफायती और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को संप्रवर्तित करने तथा उससे संसंक्त और उसके आनुषांगिक ऐसे अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति की जाए।

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे।

अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021

8. श्री राज नाथ सिंह प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जनता के जान और माल की रक्षा करने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

9. श्री राज नाथ सिंह आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

----

10. नियम 377 के अधीन मामले।

विधायी कार्य

<u>विचार तथा पारित किए जाने के लिए विधेयक</u>

फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020	**11. श्रीमती निर्मला सीतारमण** प्रस्ताव करेंगी कि फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। *<u>(अलग सूचियों में मुद्रित संशोधन पेश किए जाएंगे)</u>* **यह** प्रस्ताव भी करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021	**12. श्री पशुपति कुमार पारस** प्रस्ताव करेंगे कि खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंध में शिक्षण और अनुसंधान करने और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि तथा ज्ञान का प्रसार करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए। *<u>(अलग सूची में मुद्रित संशोधन पेश किए जाएंगे)</u>* **यह** प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

नई दिल्ली;
<u>20 जुलाई, 2021</u>
29 आषाढ़, 1943 (शक)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव